फर्द अहकाम

न्यायालयः अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रार्थीः श्री गुरूमीत उर्फ गुरूमुख सिंह व अन्य **विपक्षीः** श्री जोगेन्द्र सिंह पिता निरंजन व अन्य

किस्म मुकदमाः राजस्व अपील **पत्रावली संख्याः** 04 **वर्षः** 2021 **RCMS NO**-2021/9

क्र.स.	**कार्यवाही विवरण**	**हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की**
11.3.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ''वास्ते सुनवाई स्थगित किये जाने'' पर अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का राजस्व रेकर्ड के मुकाबले अध्ययन किया। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा विषयवस्तु को लेकर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मे प्रथम अपील प्रस्तुत कर विवादास्पद बटवाड़ा आदेश को चुनौती दी गई है तथा अपील पत्रावली अंतिम सुनवाई/बहस मे नियत होने तथा हस्तगत रूपान्तरण अपील मे पूर्ववत कार्यवाही होने से न्यायहित मे माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय तक इस न्यायालय मे सुनवाई स्थगित रखी जावें। राजकीय अधिवक्ता द्वारा मामले मे अनुरोध किया कि अपीलान्ट्स ने अनावश्यक राजकीय समय एवं धन व्यर्थ करवाने का उपक्रम किया है। स्वयं अपीलार्थीगण को यह ज्ञात था कि वह अन्य न्यायालय मे चाराजोही कर रहा है तो उसे यहां एक व्यर्थ कार्यवाही इस न्यायालय मे नहीं करनी चाहिये थी। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा स्वयं उक्त अपील प्रस्तुत की है एवं स्वयं ही प्रकरण मे कार्यवाही स्थगित करना चाहता है, जो उचित नहीं हैं। प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। प्रकरण मे इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जावें। उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा पारित सम्परिवर्तन आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मे अपील विचाराधीन होने से सुनवाई स्थगित हेतु निवेदन किया है। मामले मे यह स्पष्ट है कि एक ओर तो अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय मे सम्परिवर्तन के विरूद्ध अपील की जा रही है एवं दुसरी ओर प्रकरण आर.ए.ए. न्यायालय मे विचाराधीन होना बताकर कार्यवाही स्थगित की मांग की जा रही है। दोनो ही मामलों मे विरोधाभास है। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रा.पत्र के समर्थन मे कोई दस्तावेज आदि सलंग्न नहीं किये है एवं न ही आर.ए.ए. न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण का प्रकरण संख्या इत्यादि का उल्लेख किया है, फिर भी यदि अपीलान्ट्स अधिवक्ता के कथनानुसार इस न्यायालय मे विचाराधीन अपील माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर मे विचाराधीन अपील से प्रभावित है, तो भी माननीय न्यायालय के निर्णय तक हस्तगत अपील को लम्बित रखा जाना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है। इस संबंध मे आर.आर.टी. 2010 (1) पृष्ठ 676 प्रकरण मे चस्पा होती हैं। अतः माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्णय तक प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर [illegible] मे विचाराधीन अपील के निर्णय तक इस न्यायालय मे विचाराधीन अपील को दाखिल दफ्तर किया जाता है। उक्त प्रकरण मे निर्णय पारित होने के पश्चात् यदि उभय पक्षकार चाहे तो अग्रिम कार्यवाही हेतु इस न्यायालय मे पृथक से प्रार्थना पत्र [illegible] करने हेतु स्वतंत्र हैं। तत्पश्चात् इस अपील का निस्तारण उक्त निर्णय के अनुरूप किया जाना संभव होगा। पत्रावलो दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.03.14 10:36:00 IST
Reason: SelfAttested